प्रपत्र-5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, थानागाजी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी श्री कैलाश चंद शर्मा II R.A.S.

① हेमू ② कालू ③ सणपत ④ लक्ष्मण पुत्रान रेवाड़ जोकिबाई निवासी मडाज तह. थानागाजी — वादीगण

उनवान बनाम

(1) जगदीश प्रसाद पुत्र कालूराम मीणा (मृतक)
1/1 सरपंच जगदीश प्रसाद 1/2 रेवाड़ 1/3 रामकिशोर पुत्र जगदीश प्रसाद 1/4 बबली 1/5 प्रियंका पुत्री जगदीश प्रसाद मीणा निवासी मडाज — अस्थायी प्रतिवादीगण
(2) मोरा पुत्र रामदेव कोम जाति के मडाज तह. थानागाजी — स्थायी प्रतिवादी

दावा बाबत धारा 88, 89, 188 R.T.A.Act

मुकदमा नम्बर :— 129 सन् 6/10/2004

निर्णय दिनांक :— 18/5/2018

वादी की ओर से श्री सुरेश कुमार एडवोकेट की व प्रतिवादी की ओर से श्री डी.पी. दीक्षित एड. की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18/5/2018 को श्री कैलाश चंद शर्मा II R.A.S. उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :—

दावा वादीगण डिक्री किया जाता है तथा वादीगण के हक में ख.नं. 689 रकबा 00 बिघा 5 बिस्वा व ख.नं. 624 रकबा 00 बिघा 5 बिस्वा के ग्राम मडाज के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त 1/2 हिस्से से प्रतिवादीगण संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। तकमीली प्रतिवादी संख्या 2 का इन्द्राज यथावत रखा जावे। तहसीलदार थानागाजी द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 18/5/2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, थानागाजी
अध्यक्ष
(उपखण्ड अधिकारी)
राजस्व लोक अदालत
थानागाजी (अलवर) राज०

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
वाद पत्र के लिए स्टाम्प	—	समन पत्र के लिए स्टाम्प	—
[illegible]	—	[illegible]	—
[illegible]	—	[illegible]	—
[illegible]	—	[illegible]	—

Scanned by CamScanner